

प्र० २८
(नियम ४क देखिए)
.....निर्वाचन क्षेत्र से

६६ रस्तपुर

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए

रटनिंग अफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र.

मैं निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड पुत्र/पुत्री/पत्नी अभिभावक सिंह ठाकुर आयु वर्ष.....

जो श्रील. ओप. डी. इस्ट आवास दिल्ली उपर्युक्त की निवासी हूँ और अपराधित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ

१. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से छोड़नीय किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों)का/की अभियुक्त है तो वह उत्तराखण्ड विधान सभा प्रस्तुत करेगा/करेगी):

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं शून्य
- (II) पुलिस थाना (थाने) शून्य जिला (जिले) शून्य
- (III) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है शून्य
- (IV) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की कई शून्य
- (V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया थे शून्य
- (VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं शून्य

2. मुझे किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए

(1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है। शून्य

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (I) ग्रामसभा/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं शून्य
- (II) निर्वाचन क्षेत्र की पुलिस थाना (थाने) शून्य जिला (जिले) शून्य राज्य शून्य
- (IV) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है शून्य
- (V) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे शून्य
- (VI) जबकि दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं शून्य

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

स्थान:-

तारीख:-

सत्यापन

गैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग गिर्धा नहीं है और कोई तात्पर्य बात छिपाई नहीं गई है।.....
.....रखा दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं।

.....Certified that Sri/Smt. Bhupal Singh Dangwal
.....be deponent Identified by.....
.....Sworn/Declaratory Oath taken before me on the day of 15/01/2018 at Dehradoon,.....
.....अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिए जाए।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

पृष्ठ 15 का 6



उत्तराखण्ड अधिकारी
उत्तराखण्ड, OTTARAKHAND

12AA 260830

उत्तराखण्ड विधानसभा निर्वाचन में '66 रुद्रपुर निर्वाचन क्षेत्र' से निर्वाचन हेतु रिटिनिंग आफीसर के समक्ष शपथ पत्र जो प्रमाणित व हस्ताक्षरित संलग्नक 01 पृष्ठ, (पृष्ठ 15 का 6) प्रारूप 26 के अनुसार है।

भूपाल सिंह डंगवाल
पुत्र श्री भीम सिंह डंगवाल

निवासी एलआईजी 595,
आवास विकास रुद्रपुर
जिला उधमसिंहनगर